ई–गवर्नेन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, शिमला (ग्रामीण) की उपयोक्ता प्रभार निधियों का अंकेक्षण प्रतिवेदन

अवधि 8/05 से 3/13

1 प्रारम्भिकः–

(क) ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, शिमला (ग्रामीण) का अवधि 8/05 से 3/13 की उपयोक्ता प्रभार निधियों के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या TPT-F(1)-3/2000-e-Goverance दिनाँक 3.9.05 के दृष्टिगत, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, के श्री अनिल कुमार, (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनाँक 1.3.14 से दिनाँक 5.4.14 के दौरान (केन्द्रीय ईकाई के अंकेक्षण सहित 7.6.14 तक) शिमला में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्वेदों में वर्णित है।

निधि लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2005–06	3/06	3/06
2006–07	5/06	7/06
2007–08	4/07	8/07
2008–09	12/08	3/09
2009–10	3/10	3/10
2010–11	4/10	5/10
2011–12	12/11	2/12
2012–13	12/12	3/13

अंकेक्षण अवधि 8/205 से 3/2013 के दौरान Registing & Licensing Authority cum SDM, Shimla (Rural) के पदों निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत्त रहे।

नाम	अवधि
श्री ओ0पी0 कान्त	7/06 से 3/07
श्री डी0सी0 नेगी	4/07 से 1/08
श्री मान सिंह वर्मा	2/08 से 4/10
श्री आर0एल0 नेगी	6/10 से 4/11
श्री सुनील शर्मा	5/11 से 12/12
श्री ज्ञान सिंह नेगी	1/13 से 3/13

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि लाखों में
1	4	परिवहन गतिविधियों से सम्बन्धित उपयोक्ता प्रभार निधियों से प्राप्त आय के 25% भाग के रूप में राशि को परिवहन विभाग के खाते में न जमा करना	10.60
2	6	लेपटॉप एवं प्रिन्टर की खरीद पर व्यय करने बारे तथा खरीदे गए लैपटॉप एवं प्रिन्टर की प्रविष्टि सम्पत्ति रजिस्टर के प्रविष्टि न करने बारे	0.65
3	7	फैक्स मशीन की खरीद हेतु भुगतान करने बारे तथा खरीदी गई फैक्स मशीन की प्रविष्टि अचल रजिस्टर में न करने बारे	0.12
4	8	Mobile Sets की खरीद पर अनियमित व्यय करने बारे	0.44
5	10	कम्पयूटरों के प्रिंटर में कार्टरजैज की भरवाई अथवा नए खरीदे गए कार्टरजैज के लिये किए गए व्यय से सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव न करना	0.65
6	11	मैसर्ज Busniess Masters, SCO-23 (GF) Middle Bazar, Shimla-I से स्टेशनरी तथा अन्य मदों की खरीद पर व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताएं	0.83
7	12	मैसर्ज Shrestha कन्सलटैन्सी शिमला से कम्पयूटर तथा स्टेशनरी इत्यादि की खरीद पर व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताऐं	0.84
8	13	आर0एल0ए0 शिमला (ग्रामीण) के कार्यालय तथा सुगम केन्द्र के उपयोग हेतु खरीदी गई स्टेशनरी की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि किए बिना ही स्टेशनरी का उपयोग करने बारे	1.06

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

2 **अंकेक्षण शुल्कः–**

ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण, शिमला (ग्रामीण) की अवधि 8/05 से 3/13 की उपयोक्ता प्रभार निधियों के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹17400/– बनता है। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनाँक 26.6.14 जारी करके उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेजने हेतु उपमण्डलाधिकारी शिमला (ग्रामीण) से अनुरोध किया गया।

3 **वित्तीय स्थितिः–**

ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारण, शिमला (ग्रामीण) द्वारा प्रस्तुत आर0एल0ए0 (ग्रामीण) शिमला की अंकेक्षणाधीन की उपयोक्ता प्रभार की निधियों से प्राप्त राशियों तथा उसमें से व्यय की गई राशियों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति तथा बैंक समाधान विवरणिका **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है तथा केन्द्रीय ईकाई में जमा करवाई गई राशि का विवरण **परिशिष्ट "क–1"** पर दिया गया है।

4 **परिवहन गतिविधियों से सम्बन्धित उपयोक्ता प्रभार निधियों से प्राप्त आय के 25% भाग के रूप में ₹1060478.75 को परिवहन विभाग के खाते में न जमा करनाः–**

हिमाचल प्रदेश सरकार, के परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या TPT F(1) 3-2000-e-Goverance दिनाँक 3.9.05 की 3 (a) के अनुसार परिवहन विभाग से सम्बन्धित उपयोक्ता प्रभार निधियों से प्राप्त कुल आय में से 25% भाग परिवहन विभाग में चालान द्वारा जमा किये जाने थे, परन्तु अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि RLA-cum-SDM Shimla (Rural) द्वारा उपयोक्ता प्रभार निधियों से उक्त अधिसूचना के आधार पर कोई भी राशि परिवहन विभाग में जमा नहीं की गई अपितु प्राप्त कुल आय का 50% भाग अपने खाते में तथा शेष 50% भाग केन्द्रीय ईकाई में जमा किया था। अतः परिवहन विभाग की गतिविधियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रभार की कुल आय का 25% भाग को परिवहन विभाग में जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और अब आर0एल0ए0 शिमला (ग्रामीण) द्वारा आय के अपने भाग तथा केन्द्रीय ईकाई से 12.5% भाग की दर से राशि को इकटठा करके अपेक्षित राशि शीघ्र हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

परिवहन विभाग की गतिविधियों से सम्बन्धित उपयोक्ता प्रभार निधियों में 25**%** भाग की जो राशि परिवहन विभाग में जमा किया जाना था उसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

अवधि	**उपयोक्ता प्रभार निधि में प्राप्त आय**	**जो भाग परिवहन विभाग में जमा नहीं की गई**
8/05 से 3/06	158450	39612.50
4/06 से 3/07	284860	71215.00
4/07 से 3/08	366090	91522.50
4/08 से 3/09	433990	108497.50
4/09 से 3/10	578400	144600.00
4/10 से 3/11	687110	171777.50
4/11 से 3/12	735775	183943.75
4/12 से 3/13	997240	249310.00
	4241915	**1060478.75**

5 नियमों के अनुसार लेखों का रख–रखाव न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0 एफ (1) 3/2000–ई गवर्नेन्स दिनाँक 3.9.05 में दिये गए निर्देशों के अनुसार सोसाईटी द्वारा प्रत्येक वर्ष के अन्त में Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार करनी अपेक्षित थी जबकि सोसाईटी द्वारा न तो वर्ष के अन्त में Income & Expenditure Statement तैयार की और न ही Balance Sheet तैयार की गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि नियमों की अनुपालना करते हुये प्रत्येक वर्ष की Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet अविलम्ब तैयार की जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

6 लेपटॉप एवं प्रिन्टर की खरीद पर ₹65100/– का व्यय करने बारे तथा खरीदे गए लैपटॉप एवं प्रिन्टर की प्रविष्टि सम्पत्ति रजिस्टर के प्रविष्टि न करने बारेः–

(Bill No. 19931 dated 18.3.99 तथा Bill No. 19933 dated 19.3.99)

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी की निधि से उपमण्डलाधिकारी शिमला (ग्रामीण) द्वारा लैपटॉप एवं प्रिन्टर की खरीद पर ₹33652/– का भुगतान चैक संख्या 0734499 दिनाँक 5.3.09 द्वारा बतौर अग्रिम तथा शेष ₹31448/– का भुगतान चैक संख्या

073508 दिनाँक 15.6.09 द्वारा "H.P. State Electronics Dev. Corp. Ltd. Shimla" को किया गया। उक्त खरीद से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त भुगतान की स्वीकृति चेयरमैन, ई–गर्वनेंन्स जिला शिमला से प्राप्त न करके (RLA) ग्रामीण द्वारा अपने स्त्तर पर कर दी गई प्रतीत होती है जबकि ई–गर्वनैंन्स सोसाईटी के पंजीकरण संख्या 25/2004 में दिये प्रावधान 14 (g) के अनुसार ₹5000/– से अधिक के व्यय की स्वीकृति चेयरमैन, ई गवर्नेंस ईकाई जिला शिमला से प्राप्त कर की जानी अपेक्षित थी। अतः चेयरमैन की स्वीकृति के बिना किये उक्त भुगतान के बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अब इस भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति चेयरमैन, ई–गवर्नेंस सोसाईटी जिला शिमला से प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त उपमण्डलाधिकारी शिमला (ग्रामीण) द्वारा पत्र संख्या SML-PA (SDM-R) Misc/09.02 दिनाँक 7.01.09 के अन्तर्गत लेपटॉप की खरीद का उपयोग व्यक्तिगत करने के लिये करने बारे स्वीकृति माँगी है जबकि नियमानुसार किसी भी सामग्री की खरीद व्यक्तिगत उपयोग के लिये नहीं की जा सकती। अतः लेपटॉप की खरीद की स्वीकृति व्यक्तिगत उपयोग के लिये करने हेतु स्थिति स्पष्ट की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) उक्त खरीदे गए Laptop तथा Printer की प्रविष्टि सम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण ब्यौरे के साथ की जानी थी और जिस अधिकारी को यह उपकरण जारी किया उनका पूर्ण विवरण सम्पत्ति रजिस्टर में वर्णित करके उनसे पावती भी प्राप्त की जानी चाहिए था, परन्तु संस्था द्वारा कोई भी ऐसा अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया क्योंकि इस प्रकार के अभिलेख का रख–रखाव ही नहीं किया गया। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसकी प्रविष्टि अब सम्पत्ति रजिस्टर में करके तथा जिस अधिकारी/कर्मचारी को उक्त लैपटॉप जारी किया गया है उनसे पावती प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

7 फैक्स मशीन की खरीद हेतु ₹11813/– का भुगतान करने बारे तथा खरीदी गई फैक्स मशीन की प्रविष्टि अचल रजिस्टर में न करने बारेः–

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी की निधि से उपमण्डलाधिकारी शिमला (ग्रामीण) के कार्यालय में फैक्स मशीन लगवाने के एवज में "H.P. State Electronics Development Corporation Ltd. Shimla" को चैक संख्या 073498 दिनाँक 5.3.09 द्वारा ₹1813 का भुगतान किया गया। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि उपमण्डलाधिकारी शिमला (ग्रामीण) द्वारा उक्त फैक्स मशीन का भुगतान "Member

Secretary" के अनुमोदन पर किया गया जबकि ई गवर्नेंस सोसाईटी, जिला शिमला के Memorandum of Association की धारा 14 (g) के अनुसार ₹5000/– तक के व्यय की स्वीकृत ही Member Secretary द्वारा की जा सकती थी तथा ₹5000/– से अधिक के व्यय की स्वीकृति चेयरमैन e-Goverenance Society से लेकर किये जाने का प्रावधान है। अतः बिना चेयरमैन से स्वीकृत लिये ₹11813/– के भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और उक्त व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति चेयरमेन ई–गवर्नेंस, जिला शिमला से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिलाई जानी सुनिश्चित की जाये।

(ख) इसके अतिरिक्त उक्त खरीद गई फैक्स मशीन की प्रविष्टि अचल सम्पत्ति रजिस्टर में की जानी अपेक्षित थी किन्तु सम्पत्ति रजिस्टर को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सोसाईटी द्वारा सम्पत्ति रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था। अतः फैक्स मशीन की प्रविष्टि सम्पत्ति रजिस्टर में न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इसकी प्रविष्टि अब सम्पत्ति रजिस्टर में करके तथा जिस अधिकारी/कर्मचारी को उक्त मशीन जारी की गई है उनसे पावती प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

8 Mobile Sets की खरीद पर ₹44250/–का अनियमित व्यय करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपमण्डलाधिकारी (ग्रामीण) द्वारा ई–गवर्नेन्स उपयोक्ता प्रभार निधि से निम्नलिखित मोबाईल सेट की खरीद करने पर भुगतान किया गया।

बिल सं0/दिनाँक	फर्म का नाम	मोबाईल का ब्यौरा	संख्या	राशि
CA1–16687/ 6.7.07	M/S Gainda Mal Hem Raj, The Mall Shimla	Nokia No-72	1	9950
CA1–65214/20. 2.10	M/S Gainda Mal Hem Raj The Mall Shimla	Nokia E-63	1	11000
919/5.3.08	M/S Sanjay Eelectronics Sumi Distt Shimla	Nokia 3110-C	1	5100
RR-0483/ 1.1.11	M/S Satyam Enterprises The Mall Shimla	W-20(2420)	1	8200
1043/7.3.08	M/S Kiran Gift Centre, Lower Bazar, Shimla	Nokia No.-70	1	10000
		योग		**₹44250**

उक्त भुगतान से सम्बन्धित वाऊचरों की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–

(क) M/S Gainda Mal Hem Raj, The Mall, Shimla से उनके बिल संख्या CAI-16687 दिनाँक 6.7.07 के अन्तर्गत Nokia N-72 Moblie Set तथा Mobile Cover की खरीद पर ₹9950/– का भुगतान, वाउचर संख्या 8/2007–08 द्वारा किया गया। उक्त मोबाईल सैट की खरीद किस उद्देश्य से की गई, इस बारे अभिलेखों के साथ कोई विवरण संलग्न नहीं पाया गया और न ही इसकी स्वीकृति सोसाईटी के सक्षम अधिकारी से प्राप्त की क्योंकि अपेक्षित स्वीकृति भी अभिलेख के साथ संलग्न नहीं थी। अतः बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये और बिना किसी उद्देश्य से ई–गवर्नेन्स निधि से Nokia Mobile Set की खरीद करना अनियमित है। इस प्रकार उक्त व्यय इस निधि पर उचित प्रभार नहीं है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर भविष्य में इस प्रकार के व्यय पर अंकुश लगाया जाये तथा इस निधि से व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग में दिये निर्देशों के अनुसार ही किया जाये।

(ख) M/S Gainda Mal Hem Raj, The Mall, Shimla से उनके बिल संख्या CA1-65214 दिनाँक 20.2.10 के अन्तर्गत उपमण्डलाधिकारी शिमला (ग्रामीण) के लिए एक नं0 Nokia Mobile Set E-63 में ₹11000 में खरीद की गई जिसकी स्वीकृति उपायुक्त शिमला द्वारा दिनाँक 18.12.09 को दी गई थी। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त मोबाईल सैट की खरीद उपयोक्ता प्रभार निधि से की गई परन्तु यह सैट किस उद्देश्य से खरीदा गया, इस बारे कोई भी अभिलेख/बिल सम्बन्धित वाउचर के साथ संलग्न नहीं पाया गया। अतः उक्त व्यय इस निधि पर उचित प्रभार नहीं है।

(ग) M/S Sanjay Electronics Suni Distt Shimla से उनके बिल संख्या 919/5.3.08 के अन्तर्गत खरीदे गए ₹5100/– के Mobile Nokia No 3110-C से सम्बन्धित बिल संख्या 919 दिनाँक 5.3.08 पर केवल यह अंकित था कि यह मोबाईल श्री मान सिंह तहसीलदार को जारी किया गया है। अतः मोबाईल सैटस किस उद्देश्य से खरीदा गया उस बारे पूर्ण विवरण दे करके तथा अब यह मोबाईल किस अधिकारी के पास है, उस बारे में भी विवरण देकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त मोबाईल सैट की इस खरीद पर किया गया व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना में दिये निर्देशानुसार उक्त उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त मोबाईल सैटस की खरीद का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा इसकी खरीद पर किए गए व्यय

की वसूली उचित माध्यम से करके इस निधि से जमा की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) उक्त के अनुसार M/S Satyam Enterprises the Mall Shimla से उनके बिल संख्या RR-0483 दिनाँक 1.1.11 के अन्तर्गत खरीदे गए ₹8200/– के मोबाईल W-20 (2420) का उद्देश्य दर्शाकर तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय का नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ङ) इसी प्रकार M/S Kiran Gift Centre, Lower Bazar, Shimla से उनके बिल संख्या 1043 दिनाँक 7.3.08 के अन्तर्गत खरीदे गए ₹10000/– के मोबाईल Nokia No-70 के बारे में उद्देश्य दर्शाकर तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इसे नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(च) मोबाईल सैटस की खरीद की प्रविष्टि से सम्बन्धित अचल/चल सम्पत्ति में न करना और स्टॉक रजिस्टर को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि चयनित मासों के अन्तर्गत उपमण्डलाधिकारी (ग्रामीण) शिमला ने समय–2 पर जिन–2 मोबाईल सैटस की खरीद की गई उन मोबाईल सैटस की कोई प्रविष्टि सम्पत्ति रजिस्टर में की गई प्रतीत होती है क्योकि ऐसा साक्ष्य बिलों पर नहीं पाया गया जिससे यह सुनिश्चित हो सकता कि मोबाईल सैटस की प्रविष्टियाँ सम्पत्ति रजिस्टर में की गई। अतः चयनित मासों के अतिरिक्त अन्य मासों में खरीदे गए मोबाईल सैटस की प्रविष्टियाँ सम्पत्ति रजिस्टर से करके तथा जिन–2 अधिकारियों को यह मोबाईल सैट जारी किए गए है उनमें प्राप्ति के एवज में हस्ताक्षर प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 मोबाईल सैट की मुरम्मत पर ₹4048 का भुगतान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स निधि से पुराने मोबाईल की मुरम्मत पर ₹4048.25 का भुगतान दिनाँक 18.12.09 को सक्षम अधिकारी से ली गई स्वीकृति के आधार पर किया गया। इसके अतिरिक्त उपरोक्त पैरा संख्या 8 (ख) में वर्णित Nokia E-63 मोबाईल सैट की M/S Gainda Mal Hem Raj, The Mall Shimla से उनके बिल संख्या CA1-65214 दिनाँक 22.2.10 के अन्तर्गत ₹11000/– में खरीद भी की गई थी परन्तु अभिलेखों में यह कहीं भी नहीं पाया गया कि पुराने मोबाईल की मुरम्मत पर ₹4048.25 का व्यय करके जो मोबाईल सैट ठीक करवाया गया था वह मोबाईल किस को जारी किया गया। अतः पुराने सैट

की मुरम्मत पर ₹4048.25 का जो व्यय किया गया उस बारे औचित्य उक्त अभिलेख सहित आगामी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाए।

10 कम्पयूटरों के प्रिंटर में कार्टरजैज की भरवाई अथवा नए खरीदे गए कार्टरजैज के लिये किए गए ₹65268/– के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव न करना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आर0एल0ए0 शिमला (ग्रामीण) द्वारा ई–गवर्नेन्स निधि से कम्पयूटरों के प्रिन्टर्ज में समय–2 पर कार्टरजैज की refilling करवाई गई अथवा नये कार्टरजैज की खरीद पर व्यय किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

Sr. No./ Vr. No.	**कम्पनी का नाम**	**मद का ब्यौरा**	**राशि**
8 से 10/2006–07	Image Maker Computer ½ The Mall Shimla Bill No. 534 dt. 16.5.05	New Cartridge-855 -do- 852	2300
	Bill No. 547 dt. 25.5.06	Dot Material Printer Ribbon Cartridge	40
	Bill No. 572 dt. 14.6.06	Carteridge Black inkjet 852 No.	950
Nil	Sheshtha Consultacy 115, P.C. Chambes Yodha Niwas, Shimla Bill No. 711 dt. 29.7.09	Inkjet printer cartridge black-1 Colour-1 Reffiling of tonner 2 No. 1022 Replacement of tonner drum printer 1022	5700
13/2006–07	Image maker computer The Mall Shimla Bill No. 1248 dt. 21.7.07	H.P. Daskjet New black cartridge New Colour cartrisdge	2400
Nil	Sheshtha Consultacy Yodha Niwas, Shimla Bill No. 584 dt. 17.10.08	Inkjet printer cartridge black-2 No. Colour-1 No.	3550
Nil	Sheshtha Consultacy Yodha Niwas, Shimla Bill No. 742 dt. 10.9.09	Inkjet printer cartridge Colour-90 1No. Black 90 1 No.	2480

Nil	Sheshtha Consultacy Yodha Niwas, Shimla Bill No. 801 dt. 13.12.09	Refilling of lower 3 Replacement of Tonner Dram -1 Extention Board-1 Inkjet printer cartridge Block-1 Megenta-1	5100
Nil	Sheshtha Consultacy Yodha Niwas, Shimla Bill No. 808 dt. 4.1.10	Inkjet printer cartridge Colour-1 Black-1	2480
Nil	Sheshtha Consultacy Yodha Niwas, The Mall Shimla Bill No. 831 dt. 17.4.10	Inkjet printer cartridge Black Cyer 4No. Yellow Colour	4700
	Bill No. 830 dt. 12.5.10	Inkjet Cartridge Block 901 2No.	2380
	Bill No. 841 dt. 13.5.10	Inkjet Printer Cartridge 18 No. Black-1 No.	1175
	Bill No. 842 dt. 14.5.10	Inkjet Printer Cartridge 901 No. Black-2 No.	2380
Nil	Business Master Shimla Bill No. 520 dt. 27.9.12	Cartridge No. 810x10 Cartridge No. 811x10 refil	24471
Nil	Business Masters Shimla Bill No. 518 dt. 27.9.12	Cartridge No. 830x10 -do-No. 831x1 1522 Tools 1 no.	5162
		योग	**₹65268**

उपरोक्त वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि कम्पयूटरों के प्रिन्टर्ज में Cartridge की refilling तथा नये Cartridge की खरीद से सम्बन्धित कोई भी Maintenance Register अथवा अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि संस्था में स्थापित कौन कौन से कम्पयूटर के प्रिन्टर्ज के लिये कार्टरजैज refill करवाया गया तथा कौन–2 से प्रिन्टर्ज के लिये काटरैजज का क्रय किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा काटरैजज refill करवाने तथा नए काटरैजज खरीदने से सम्बन्धित Maintenance Register का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 **मैसर्ज Busniess Masters, SCO-23 (GF) Middle Bazar, Shimla-I से स्टेशनरी तथा अन्य मदों की खरीद पर व्यय की गई ₹83542 से सम्बन्धित अनियमितताएंः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपमण्डलाधिकारी शिमला (ग्रामीण) द्वारा सुगम केन्द्र में उपयोग हेतु समय–2 पर "Busniess Masters, SCO-23 (GF) Middle Bazar, Shimla-I" से स्टेशनरी की खरीद की गई, जिनसे सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी के अन्तर्गत उपयोग होने वाली स्टेशनरी की खरीद के लिये दरों का निर्धारण करके निर्धारित दरों को पत्र संख्या SML-Sugam/Statianary-542 दिनाँक 13.8.11 द्वारा जिला शिमला के सभी उपमण्डलों को अवगत करवाया गया। निर्धारित दरों के आधार पर "M/S Busness Masters, Middle Bazar Shimla" से निम्नविवरणानुसार स्टेशनरी की खरीद की गई परन्तु यह दरें किस आधार पर निर्धारित की गई इससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा विभाग में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः खरीदी गई स्टेशनरी से सम्बन्धित दरों को जिस आधार पर निर्धारित किया गया उससे सम्बन्धित अभिलेखों को लेखा परीक्षा में से प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और सम्बन्धित अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त इन भुगतान से सम्बन्धित बिलों को न तो सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था और न ही "Sanctioned & Passed for Payment" के आदेश सम्बन्धित बिल पर अंकित किए गए तथा बिलों पर भुगतान होने से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण नहीं दिए गए थे जिसके अभाव में बिलों के दो बार भुगतान की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता। अतः बिलों का भुगतान करने से पूर्व बिलों पर सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से "Sanctioned & Passed for Payment" के आदेश अंकित करवाए जायें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कौन–2 से बिल का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार बिलों के दो–बार के भुगतान की सम्भावना को नकारा जा सकता है।

बिल सं0	दिनाँक	राशि
0455	18.10.11	32604
0503	8.11.11	20453
0574	7.12.12	13105
0653	6.1.12	17380

12 **मैसर्ज Shrestha कन्सलटैन्सी शिमला से कम्पयूटर तथा स्टेशनरी इत्यादि की खरीद पर व्यय की गई ₹83803/– से सम्बन्धित अनियमितताएंः–**

अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि आर0एल0ए0 शिमला (ग्रामीण) द्वारा समय–2 पर Shrestha कन्सलटैन्सी शिमला से कम्पयूटर, स्टेशनरी आदि की खरीद की गई जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

Bill No/date	सामग्री का ब्यौरा	राशि
664 dt. 24.4.09	Glossy Sheet/paper-3	
	Driving liecence Pouch-4	
	A4 size paper-3	7580
	Pinter Cartridge Colour-1	
	Black-1	
671 dt. 5.5.09	Printer cartridge black-1 No.	3680
	Colour-1 No.	
	Glossy Sheet paper-2	
	Liecence Lamination Pouch-2	
	A4 size paper-1	
706 dt 26.7.09	Inkjet printer cartridge black-1	
	Colour-1	
	Glossy paper-4	13298
	A4 size paper-4	
	Driving Lieceence Puch-5	
	Registration Cartrificate stationency-1000	
	Compter Stationary 132 colous -4	
	80 Coloumn-6	
	Printer Ribbon	
	132 Coloumn-4	
	Printer Ribbon 80 Column-4	
711 dt. 29.7.09	Inkjet pinter cartridge	
	Black-1	5700
	Colour-1	
	Refilling of Toner 1022-3	
	Replacement of Toner printer 1022-1	
742 dt. 10.09.09	Inkjet Printer Cartrisdge Colour No. 901-1	
	Black No. 901-1	
		2480
741 dt. 19.9.09	Pendrive kingsten 8G.b.-1	
	Pendrive Kingston 24.B-1	

	Inkjet printer cartridge	4825
	Black-1175-1	
	Cyorn-1175-1	
	Yellow-1175-1	
801 dt. 3.12.09	Refilling of tonner-3	
	Replacement of Toner drum-1	
	Extentation Board-1	5100
	Inkjet printer cartridge	
	Black-1	
	Meguta-1	
808 dt. 4.1.10	Inkjet printer cartridge	2480
	Colour-1	
	Black-1	
816 dt. 3.3.10	Lamination Pouch -4	
	Receipt paper 80 coloumn-6	
	132 Coloumn-2	11750
	Printer cartridge black 852-2	
	Colour 855-2	
	A4 size paper-5	
	Digital Pentablet-1	
817 dt. 4.3.10	Computer stationary	
	80 coloumn-10	
	132 coloumn-3	14170
	R.C. preprinted farm-2000	
	R.C. Lamination pouch-2	
	Glossy paper-6	
	A4 size paper-4	
	Cartridge block-1	
	Colour-1	
	Lamination Pouch-6	
822 dt. 12.3.10	Printer cartridge colour-2 No.	
	Glossy Sheet-6	

Lamination PouchD.l.-4

A4 size paper-3

Receipt paper-6 (80 coloumn)

Ribbon for printer-10 (small) 12740

Stapler pins-1 Box

Receipt paper 132 gloumn-2

R.C. form-1000

R.C. Lamination Pouch-2

Ribbon for Printer-6 (big)

Total ₹83803

उक्त बिलों की जाँच करने पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) नियमानुसार ई–गवर्नेन्स निधि का उपयोग हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय नियमों को ध्यान में रखकर ही किया जाना अपेक्षित था जिसके अनुसार ई–गवर्नेन्स निधि से समय–2 स्टेशनरी की खरीद हिमाचल प्रदेश प्रिटिंग प्रैस से की जानी थी। यदि यह खरीद खुले बाजार से की जानी थी तो भी इसके लिए भी सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अपेक्षित था। अतः बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये खुले बाजार से सामग्री की खरीद करने बारे स्थिति स्पष्ट करें।

(ख) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि स्टेशनरी एवं प्रिन्टर में Cartridge की refilling इत्यादि Shrestha cousulatancy Shimla, Image Maker Computer, Busniess Master Shimla से की गई थी। यह सप्लाई orders इन फर्मों को किस आधार पर दिया उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ग) उक्त स्टेशनरी की सामग्री की प्रविष्टियों की जाँच के लिए सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर तथा कम्पयूटर में डलवाये गये Cartridges तथा अन्य पुर्जों इत्यादि की खरीद से सम्बन्धित प्रविष्टियों की जाँच के लिए Maintenance Register को भी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही भुगतान बिलो पर ऐसा कोई प्रमाण पाया गया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता कि स्टेशनरी एवं Camputers सामग्री की प्रविष्टि किस–2 रजिस्टर में की है जिससे यह प्रतीत होता है कि इन बिलों की प्रविष्टि हेतु किसी भी प्रकार के स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किए गए है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और उक्त सामग्री की प्रविष्टियाँ नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर एवं Maintenance Register में की जाए तथा

समय–2 जहाँ–2 सामग्री की आवश्यकता होती है वहाँ–2 सम्बन्धित कर्मचारियों में हस्ताक्षर प्राप्त करके इन्हें जारी किया जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) उक्त वर्णित बिलों में कुछ एक बिलों को सक्षम अधिकारी द्वारा पारित किये बिना ही भुगतान सम्बन्धित फर्मों को किया गया जोकि अनियमित था। अतः बिलों को सक्षम अधिकारी से पारित करवाये बिना ही भुगतान करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा बिलों को सक्षम अधिकारी से पारित करवाया जाये ताकि बिलों के पुनः भुगतान की सम्भावना को समाप्त किया जा सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 आर0एल0ए0 शिमला (ग्रामीण) के कार्यालय तथा सुगम केन्द्र के उपयोग हेतु खरीदी गई ₹106384 की स्टेशनरी की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि किए बिना ही स्टेशनरी का उपयोग करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स निधि से समय–2 पर स्टेशनरी की खरीद आर0एल0ए0 शिमला (ग्रामीण) के कार्यालय एवं सुगम केन्द्र में उपयोग हेतु भी की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

फर्म का नाम एवं बिल सं0	सामग्री का ब्यौरा	संख्या	बिल की राशि
Sheshtha Consultany Yodha Niwas, Shimla Bill No. 314 dt. 7.2.06	Lamination Pouches for R.C.	4No	3920
	Lamination Pouches for Licence	9 No..	
-do- Bill No. 318 dt. 12.5.06	Photo quality glossy paper	7	
	Lamination pouch for R.C.	2	
	Lamination pouch for lience	4	4420
	A4 size bondpaper	2	
	13 L colour computer stationary	1	
	80 colour computer stationery	1	
-do- Bill no. 323 of 6/06	Photoquality paper	12	4430
	Electrical Pen	1	
Shrestha Consultancy Yodha Niwas, Shimla Bill No. 543 dt. 5.6.08	Inkjet Printer Cartridge Colour 855	1	2713
	3 black 852	1	
	A4 size paper	1	

	Lamination Pouch	2	
-do- Bill No. 560 dt. 9.6.08	Lamination Pouch	5 Pack	7161
	Glossy sheet	5 Pack	
	Inkjet Printer Cartridge Black No.-852	1	
	Colour No.855	1	
	Computer Stationary 80 Col	3	
	Computer Stationary-132 Col	2	
	A4 size paper	2	
	Printer ribbon 1050+		
-do- Bill No. 588 dt. 24.10.08	Inkjet Printer Cartridge Black No. 852	1	
	-do- Coulor	1	
	Computer Stationery 80 Col	3	7311
	Computer Stationery 132 Col	2	
	All pin	3	
	A4 size paper	2	
	Printer Ribbon-1050	5	
	Glossy paper (50 sheets)	5	
	Lamination Pouch	5	
-do- Bill No. 590 dated 27.10.08	Inkjet Printer Cartridge Black	1	6787
	-do- Colour	1	
	Glossy Sheet	2	
	A4 size paper	4	
	O.4. Pouch	3	
	Computer Stationary 80 Col	3	
	132 Col.	1	
	R.C. Lamination Pouch	3	
Shreshtha Consulatancy Yodha Niwas, Shimla Bill No. 329 dt. 3.7.06	Lamination pouch	5 No.	1896
	Lamination pouch	2 No.	
-do- Bill No. 369 dt. 16.1.07	Kodak Glosy Sheets	15 pack	3588
-do-Bill No. 366 dt. 12.1.07	Pouch lamination for R.C.	2 Pack	2745.60
	Pouch Lamination for Liecence	10	

		Pack	
-do- Bill No. 389 dt	Kodak Glosy Sheet	12	5502.64
30.3.07	Lamination Pouch for Liecence	12	
	Lamination for R.C.	1	
-do- Bill No. 498 dt.	A4 size paper 1 Glossy paper A4	2pads	1216
6.2.08	Laminatyion pouch	2	
-do- Bill No. 541 dt.	Lamination pouch for Lience	3	1380
4.5.08	80 Col Contination stationary	3	
-do- Bill No. 542 dt.	A4 size paper	1	
4.5.08	Lamination pouch for Lience	3	
	Glossy paper	2 Pack	3588
	80 Col Contimation stationary	2	
	132 Col –do-	2	
	Lamination pouch for Rc.	1	
	Printer ribbon (L1050)	5	
Shrestha Consulatancy	Inkjt Printer cartridge block	1	
Yodha Niwas Shimla	-do- colour	1	
Bill No. 595 dt. 20.12.08	Lamination Pouch (Lience)	4	7110
	Glossy Sheet	3	
	Computer Statinonery-3 80Col		
	132 Col	2	
	R.C. Lamination Pouch	2	
	Printer ribbon	5	
-do- Bill No. 743 dt.	Inkjet photo Galossy sheet	5	
11.9.09	Lamination Pouch	10	
	Inkjet Printer		12075
	Cartridge Block-852	2	
	Colour 855	2	
	R.C. Lamination Pouch	3	
	Stapper pin	20Pkt	
	Camputer stationary	5	
-do- Bill No. 829 dt.	Glossy paper	6	
16.4.10	A4 size paper	4	
	Lamination Pouch	4	14966
	For Liecence		

	Stapler Pin (20)	1	
	Computer Stationeary		
	80 Colour	6	
	132 Colour	3	
	Printer Cartridge Black 852 No.	3	
	Colour 855 No	1	
	Rubber Band		
-do- Bill No. 843 dt.	A4 size paper	5	
15.5.10	Glossy paper	5	
	Lamination Pouch	5	15575
	(Lience)		
	Printer cartridge Colour 855 No.	3	
	Black-852 No.	3	
	Pre Printed R.C. Staintanary		
	Lamination Pouch for R.C.	3 Pack	
		योग	**₹106384.24**

उक्त बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि स्टेशनरी की खरीद की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में न करके स्टेशनरी का उपयोग सीधे ही किया गया प्रतीत होता है क्योंकि बिलों पर कहीं भी स्टॉक रजिस्टर में की गई प्रविष्टि का विवरण नहीं दिया गया। अतः स्टेशनरी की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करके सीधे उपयोग करने के फलस्वरूप स्टेशनरी के दुरूपयोग की सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गई स्टेशनरी तथा अन्य सामग्री की मदवार प्रविष्टियाँ नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में करके तथा समय–2 उपयोगिता के अनुसार ही स्टेशनरी कर्मचारियों को जारी की जाये और जिस कर्मचारी को स्टेशनरी जारी की उनसे पावती के एवज में हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाये सुनिश्चित किये जाये।

14 आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान वाऊचरों को पारित किए बिना ही ₹100363/– के बिलों का भुगतान करने बारेः–

चयनित मासों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार बिलों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पारित किए बिना ही इनका भुगतान किया गया है।

बिल सं0/दिनाँक	फर्म का नाम	सामग्री का ब्यौरा	राशि

743 dt. 11.9.09	Shrestha Coinsulatanry Shimla	Computer Stationary	12075
829 dt. 16.4.10	-do-	-do-	14966
831 dt. 17.4.10	-do-	Inkjet Cartridge	4700
830 dt. 12.5.10	-do-	-do-	2350
841 dt. 13.5.10	-do-	-do-	1175
842 dt. 14.5.10	-do-	-do-	2380
843 dt. 15.5.10	-do-	Computer Stationary	15575
844 dt. 15.5.10	-do-	-do-	700
520 dt. 27.9.12	Busniess Master Shimla	Refil of cartridge & purchase of cartridge	24471
518 dt. 27.9.12	-do-	cartridge	5162
5131 dt. 6.10.12	Image Maker Computer SDA Computer Shimla	Cartridge	950
5132 dt. 6.10.12	-do-	Net work cable	350
5156 dt. 16.10.12	-do-	Refill of cartridge	450
4128 dt. 21.3.12	Image Maker Compurter SDA Computer Shimla	Refill of cartridge	550
5043 dt. 29.9.12	-do-	Printer I.P. 2770 Pinter Logic Card	2400
5155 dt. 16.10.12	-do-	New Cartridge & USB Carde	3400 500
329 dt. 3.7.06	Sherstha Cousulatansy Shimla	Lamination Pouch	1846
369 dt. 16.1.17	-do-	Glassy Sheets	3588
366 dt. 12.10.07	-do-	Lamination Pouch	2745.60
		योग	**₹100363.60**

अतः भुगतान वाऊचरों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित/पारित किए बिना ही भुगतान करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये। इसके अतिरिक्त चयनित मासों के अलावा अन्य मासों के बिलों की भी संस्था द्वारा अपने स्तर जाँच करके समस्त बिलों को आहरण एवं वितरण अधिकारी से पारित करवाया जाये ताकि बिलों के दोहरे भुगतान की सम्भावना से बचा जा सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 ई–गवर्नेन्स निधि से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ₹53400/– के Honorarium/अतिरिक्त भत्ते का भुगतान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपायुक्त शिमला की स्वीकृति के अनुसार ई–गवर्नेन्स सोसाईटी में अपनी सेवायें प्रदान करने के लिए निम्नविवरणानुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के फलस्वस्रूप Honorarium／अतिरिक्त भत्ते का भुगतान किया गया।

नाम	अवधि	दर	कुल भुगतान
श्री ओ0पी0 कान्त, एस0डी0एम0	7／06 से 3／07	@500	4500
श्री डी0सी0 नेगी, एस0डी0एम0	4／07 से 1／08	@500	5000
श्री मान सिंह वर्मा, एस0डी0एम0	2／08 से 4／10	@500	13500
श्री एल0आर0 नेगी एस0डी0एम0	6／10 से 4／11	@500	5500
श्री संनील शर्मा, एस0डी0एम0	5／11 से 12／12	@500	6000
श्री ज्ञान सिंह नेगी, एस0डी0एम0	1／13 से 10／13	@500	5000
श्री मोहन लाल, चालक	10／06 से 5／10	@100	4400
श्री राकेश शर्मा, चालक	8／10 से 6／12	@100	5500
	7／12 से 10／13	@200	
		योग	**₹53400**

हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या TPT-F(1) 3/2000-ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.9.05 के अनुसार ई–गवर्नेन्स निधि से सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को Honorarium के भुगतान करने का प्रावधान नहीं है। अतः उक्त Honiorarium का भुगतान e-Governance निधि से किस प्रावधान के अन्तर्गत किया गया है, इस बारे लेखा परीक्षा को आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित माध्यम से करके e-Governance Fund में जमा की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16 ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा खरीदे गए कीमती तथा स्थाई सामान की चल तथा अचल सम्पति रजिस्टर–स्टोर／स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां करने के बारे में:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेंन्स सोसाईटी द्वारा कीमती तथा स्थाई सामान की चल तथा अचल सम्पति रजिस्टर–स्टोर／स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां नहीं की गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि ई–गवर्नेन्स निधि से जितनी भी स्थाई तथा अन्य कीमती सामग्री खरीदी गई है उन सबको सम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण ब्यौरा देकर दर्ज किया जाए तथा जिन–2 अधिकारियों／कर्मचारियों को सम्बन्धित उपकरण जारी किए गए है उनसे प्राप्ति के एवज में हस्ताक्षर इत्यादि प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारेः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान–ई–गवर्नेन्स निधि से खरीदी गई स्टोर/स्टॉक की मदों का नियमानुसार समय–2 पर प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जो एक अनियमित है। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि ई–गवर्नेन्स निधि से खरीदी गई सामग्री का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमानुसार करवाया जाये ताकि इस निधि की स्थाई व अस्थाई सम्पत्तियों/सामग्री का आँकलन किया जा सके।

18 विविधः–

केन्द्रीय ईकाई से समय–2 पर ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) शिमला (ग्रामीण) को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) शिमला (ग्रामीण) से केन्द्रीय ईकाई को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 लघु आपत्ति विवरणिकाः– इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

20 निष्कर्षः– लेखाओं के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(14)(xii)14/2014 खण्ड–1–7174–7178 दिनांक, 28.11.2014 शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृतः–1 उप–मण्डल अधिकारी एवं आर0एल0ए0 शिमला (ग्रामीण) जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश शिमला जिला शिमला हि0प्र0

3 निदेशक, (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला–03

4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02

5 श्री अनिल कुमार अनुभाग अधिकारी द्वारा.........................

हस्ता/

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009